मुकदमा नम्बर 03/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
01.08.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उत्तरदाता उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2A पर उत्तरदाता को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एक आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थी व अन्य प्रस्तुत किया जो दिनांक 07.06.2024 को जरिये राजस्व विविध प्रकरण संख्या- 3/2024 अन्वान मुकदमा आवडराम वगैरह बनाम गुम सिंह अरणाय वगैरह दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा हनुवन्तनगर वर्तमान खसरा संख्या- 2286/1564 रकबा 0.96 हैक्टेयर के संबंध में अपीलाधीन म्यूटेशन की आगामी सुनवाई तक पालना व क्रियान्विति रोककर वादग्रस्त आराजी ख.नं.- 2286/1564 की अप्रार्थीगण मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.06.2024 अद्यदिनांक प्रभावशील व अस्तित्वशील है। अभी मानसून की प्रथम बरसात होने पर प्रार्थीगण ने मौजा हनुवन्तनगर की इस्तेमाल वादग्रस्त अराजी में [illegible] की सिंचाई की थी दिनांक 14.07.202[illegible] को सायंकाल लगभग 7 [illegible] हरिराम पुत्र धुकलाराम व [illegible] पुत्र [illegible] व अन्य ने एकराय होकर नाजायज कब्जा बनाकर प्रार्थी के खातेदारी व कब्जाकाश्त के खेत ख.नं.- 1564 रकबा 4.69 हैक्टेयर मौजा हनुवन्तनगर के वादग्रस्त भू-भाग वर्तमान

Signature Not Ve
Digitally signed by Pr
Date: 2025.09.09 15
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)
P.S.O.

मुकदमा संख्या :- 03/2024

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हु
	खसरा संख्या- 2886/1564 रकबा 0.96 हैक्टेयर में बलपूर्वक नाजायज कब्जा कर न्यायालय श्रीमान के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.06.2024 प्रकरण संख्या- 31/2024 की जानबूझ अवहेलना कर सभी अप्रार्थीगण ट्रैक्टर लेकर आये, जिन्होंने हमारे द्वारा की हुई जुताई के ऊपर दुबारा हल चलाकर प्रार्थीगण की जुताई नष्ट कर दी। अप्रार्थी पक्ष को मौके पर आकर गवाहान ने रोकने की कोशिश की परन्तु अप्रार्थी पक्ष नहीं माने तथा स्थगन आदेश की अवहेलना की जिसके लिए अप्रार्थी को दोषी करार तीन माह की सिविल जेल एवं 50,000/- रुपये प्रत्येक हर्जाना रुपये प्रार्थी को तथा अप्रार्थी की सम्पत्ति जब्त कर प्रार्थीगण को हुई क्षतिपूर्ति करवाना न्यायहित में अति-आवश्यक है साथ ही मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान न्यायालय श्रीमान के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.06.2024 की पुलिस इमदाद के जरिये अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाने का आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनघडंत एवं आधारहीन होने से खारिज फरमावें। हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया. पत्रावली का भली-भाँति गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जो प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है उक्त के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramo
Date: 2025.09.09 15:24:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	संबंध में एक भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत एवं अद्यतन प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे की यह माना जावे कि न्यायालय सक्षम द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रभाव में रहते हुए अप्रार्थी द्वारा मौके की स्थिति में रद्दोबदल एवं मूल स्वरूप में कोई बदलाव या खुर्द-बुर्द किया हो तथा साथ ही कोई अन्य अलावा हस्तांतरित, बेचान, रहन जैसा कोई दस्तावेज पंजीयन करवाया हो ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत न तो वर्तमान में पेश किया है व न ही कोई पूर्व में ऐसा दस्तावेज पेश किया हो। इस तरह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजी सबूतों के अभाव में अस्वीकार किया जाना उचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है।
	:: आदेश ::
	अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 'ए' सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
	पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से एक कम कर जाकर दाखिल दफ्तर हो
	उपखण्ड अधिकारी सांचौर (जालोर)

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2025.09.09 1
Reason: SelfAttest